भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1354

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र

1354. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेड्डापल्ली में विनिर्माण, वस्त्र प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो सूती वस्त्र, हरित ऊर्जा उपकरण और ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिए जाने वाले अपेक्षित क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन, असेंबली लाइनों और लॉजिस्टिक्स में लगभग 25,000 नौकरियों के सृजन सहित पेड्डापल्ली में औद्योगिक विकास पर एसईजेड का संभावित प्रभाव क्या है;

(घ) क्या सरकार का औद्योगिक विकास के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी लाभ में वृद्धि करने के लिए पेड्डापल्ली की कोयला खनन क्षेत्रों से निकटता और रेल कनेक्टिविटी का लाभ उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार की पेड्डापल्ली में प्रस्तावित एसईजेड में औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय सब्सिडी आबंटित करने की योजना है और इसके अनुमोदन तथा विकास के लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.): एसईजेड अधिनियम,2005 और एसईजेड नियम,2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश प्रेरक पहल हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से स्थापित किया जा सकता है। एसईजेड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई निधी/सब्सिडी स्वीकृत नहीं की जाती है। केंद्र सरकार को विनिमार्ण, वस्त्र प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए तेलंगाना के पेड्डापल्ली में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****